189

संख्या 1121 /उन्तीस(2)11–2(2)पे0)/2011

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत हरिद्वार/ऋशिकेष में गंगा प्रदूशण नियंत्रण कार्यो हेतु धनांवटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1196/गंगा प्रदूषण नियंत्रण/2011–12 दिनांक 20 मई 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में हरिद्वार/ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यो के रखरखाव हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन अनु0लागत ₹ 1440.66 लाख पर टीएसी वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि ₹ 1286.63 लाख (₹ बारह करोड़ छियासी लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 395.63 लाख (₹ तीन करोड़ पिचानबे लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके 3 समान किश्तों में पूर्व किश्त का पूर्ण उपयोग के बाद अनुवर्ती किश्त कोषागार से आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.2012 तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4– स्टाफ, विद्युत, डीजल एंव अन्य मदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता आधार पर उक्त अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.12.2011 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

6– कराये जाने वाले कार्यो पर सेन्टेज प्रभार अनुमन्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि संचालन, स्टाफ, वेतन, अतिरिक्त स्टाफ आदि मदों की धनराशि प्रस्तुत आगणन में ही सम्मिलित है तथा कार्य संचालन/रखरखाव का है।

7– व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु निगम के सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

10– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को

क्रमशः....2

प्रारम्भ न किया जाय।

11— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12— आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

13— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

14— आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

15— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

16— व्यय अनुमोदित लागत की समीन्तर्गत ही सीमित किया जाय तथा न्यूनतम आवश्यकता आधार पर यदि कोई बचत होती है तो उसे राजकोष में जमा किया जाय। सीवर चार्जेज आदि से प्राप्त राजस्व की धनराशि के समतुल्य धनराशि भी राजकोष में जमा करा दी जाये।

17— उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अन्तर्गत अनुदान संख्या—13 के लेखाशीर्षक 2215—जलपूर्ति तथा सफाई—02—मल निकासी एवं सफाई— आयोजनागत —106—वायु एंव जल प्रदूषण का निवारण—03—गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज—। एंव ।।)— 00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

20— यह आदेश वित्त विभाग को अशासकीय सं0— 261/XXVII (2)/2011 दिनांक— 24 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

पृ0सं0 1121 (i)/उन्तीस(2)/11—2(2)पे0)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग—2/नियोजन /राज्य योजना आयोग/बजट सेल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।